



भारत सरकार, रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेल
 सीपीएम कन्वर्जन कार्यालय भवन, पीडी'मेलो रोड, वाडी बंदर,
 मुंबई - 400 010.



रोजगार सूचना क्रमांक आरआरसी/सीआर/01/2022 दिनांक 26/11/2022
मध्य रेल में वर्ष 2022-23 के लिए खुले विज्ञापन स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के अंतर्गत

ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि और समय	28/11/2022 को 10.00 बजे
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय	12/12/2022 को 18.00 बजे

- वर्ष 2022-23 के लिए मध्य रेल पर स्काउट्स और गाइड्स कोटा के तहत लेवल 2 में दो (02) पदों और लेवल 1 में दस (10) पदों (यानी मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर मंडल प्रत्येक के लिए 02 पद) को भरने के लिए निम्नलिखित से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद सभी वर्गों के लिए खुले हैं और किसी भी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

1.1 रेल सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार होना चाहिए:

- भारत का नागरिक हो, या
- नेपाल का नागरिक हो, या
- भूटान का नागरिक हो, या
- तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो, या
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा और तंजानिया के संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो :

बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

- 1.1.1 उम्मीदवार जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, लेकिन आगे यदि उसका चयन होता है, तो उसे नियुक्ति केवल तभी दी जाएगी जब उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हों।
- 1.1.2 आवेदक दोनों श्रेणियों अर्थात् लेवल 2 और लेवल 1 के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह क्रमांक 2 में नीचे दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। लेवल 2 और लेवल 1 पद के लिए अलग-अलग आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन भरना हैं। लेवल 2 और लेवल 1 के लिए अलग-अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2. पात्रता की शर्तें

2 (ए) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :

सं.क्र.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :
1	लेवल 2	12वीं (+2 स्टेज) या इसके समकक्ष परीक्षा कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिकों के मामले में 50% अंक अनिवार्यता नहीं है। या मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण या मैट्रिकुलेशन प्लस एनसीवीटी / एससीवीटी द्वारा अनुमोदित आईटीआई उत्तीर्ण। नोट: इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को वैकल्पिक उच्च शिक्षा के रूप में नहीं माना जाएगा।
2	लेवल 1	10वीं उत्तीर्ण या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा दिया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी)। या 10वीं उत्तीर्ण प्लस एनसीवीटी द्वारा दिया गया नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी)। या 10वीं उत्तीर्ण प्लस आईटीआई
टिप्पणी:		क्लर्क-कम-टाइपिस्ट की श्रेणी में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टायपिंग दक्षता हासिल करनी होगी तथा इस समय तक इस श्रेणी में उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप होगी।

2 (बी) स्काउट्स और गाइड्स योग्यता: (लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के लिए)

- किसी भी अनुभाग में राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या हिमालयन वुड बैज (एच.डब्ल्यू.बी) धारक।
- पिछले 5 (पांच) वर्षों यानी 2017-18 के बाद से स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। "सक्रियता का प्रमाण पत्र" संलग्न अनुलग्नक 'ए' के अनुसार होना चाहिए, और
- राष्ट्रीय स्तर पर या अखिल भारतीय रेल स्तर पर दो कार्यक्रमों और राज्य स्तर पर दो कार्यक्रमों में भाग लिया हो।

3. आयु सीमा

- 3.1 निचली और ऊपरी आयु सीमा की गणना 01/01/2023 से की जाएगी। अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा किये जाने पर ऊपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जा सकती है।
- 3.2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक।
- 3.3 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक।
- 3.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक + 3 वर्ष, बशर्ते सत्यापन के बाद उन्होंने 6 महीने से अधिक की सेवा की हो ।
- 3.5 1/1/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में सामान्य रूप से निवास करने वाले उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष तक।
- 3.6 बेंचमार्क विकलांग (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) वाले अनारक्षित व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष, बेंचमार्क विकलांग अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए 13 वर्ष और बेंचमार्क विकलांग (पी.डब्ल्यू.बी.डी.) के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 15 वर्ष।
- 3.7 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से पति से अलग लेकिन पुनर्विवाहित महिलाओं के मामले में ऊपरी आयु सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष होगी।
- 3.8 रेल संगठन के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेल कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में काम करने वालों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट खंडित अवधि में प्रदान की गई सेवा की अवधि तक अधिकतम 5 वर्ष होगी।
- लेवल -2 के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कैजुअल लेबर और एवजी अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 43 वर्ष होगी, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर या खंडित भागों में) पूरी की हो।
- 3.9 लेवल-1 पदों के लिए आवेदन करने वाले कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) के लिए, अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 36 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 38 वर्ष के अतिरिक्त उनके द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम, 1961, के तहत प्राप्त अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि तक अधिकतम तीन (3) वर्षों होगी।
- 3.10 उम्मीदवारों के जन्म की तारीख नीचे दी गई तारीखों के बीच होनी चाहिए (दोनों दिन शामिल हैं)

लेवल 2 के लिए

आयु वर्ग	18 से 30 वर्ष (अनारक्षित उम्मीदवार के लिए), एससी / एसटी के लिए 18 से 35 वर्ष और ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष।		
ऊपरी जन्म तिथि	अनारक्षित	ओबीसी	एससी / एसटी
	01/01/1993	01/01/1990	01/01/1988
सभी के लिए निम्न जन्म तिथि	01/01/2005	01/01/2005	01/01/2005
टिप्पणियां	पैरा 3.5 से 3.8 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आयु में छूट, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, लागू होगी।		

लेवल 1 के लिए

आयु वर्ग	18 से 33 वर्ष (अनारक्षित उम्मीदवार के लिए), एससी / एसटी के लिए 18 से 38 वर्ष और ओबीसी के लिए 18 से 33 वर्ष।		
ऊपरी जन्म तिथि	अनारक्षित	ओबीसी	एससी / एसटी
	01/01/1990	01/01/1987	01/01/1985
सभी के लिए निम्न जन्म तिथि	01/01/2005	01/01/2005	01/01/2005
टिप्पणियां	पैरा 3.5 से 3.8 में सूचीबद्ध श्रेणियों के लिए आयु में छूट, जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, लागू होगी।		

4. परीक्षा शुल्क

(i)	नीचे उप-पैरा (ii) में उल्लिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए	रु. 500/- (रुपए पांच सौ मात्र) बैंक शुल्क काटने के बाद उन लोगों को रु. 400/- (केवल चार सौ रुपये) वापस करने के प्रावधान के साथ, जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं।
(ii)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिकों / बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों / महिलाओं / अल्पसंख्यकों * और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ** के उम्मीदवारों के लिए	रु. 250/- (केवल दो सौ पचास रुपये) उन लोगों को वापस करने के प्रावधान के साथ जो अधिसूचना के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होते हैं। इस कैटेगरी के उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अच्छी तरह जांच कर लें। जो उम्मीदवार अपात्र हैं, लेकिन फिर भी आवेदन करते हैं, उनके संबंध में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- 4.1 शुल्क भुगतान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के भाग के रूप में पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।
- 4.2 आवेदन पत्र में विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के बाद, उम्मीदवारों को भुगतान गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जिसे ऑनलाइन आवेदन के साथ एकीकृत किया गया है। इसके बाद किसी भी परिवर्तन/संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.3 डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग आदि का उपयोग कर कंप्यूटर स्क्रीन पर पृष्ठी गई जानकारी प्रदान करके भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक द्वारा लगाया गया लेनदेन शुल्क, यदि कोई हो, उम्मीदवारों द्वारा वहन किया जाएगा।
- 4.4 लेन-देन के सफल समापन पर, उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई तारीख के साथ ई-रसीद प्राप्त होगी जिसे उम्मीदवार द्वारा सहेजा/मुद्रित करके संभाल कर रखा जाना चाहिए।
- 4.5 यदि ऑनलाइन लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ हो, तो कृपया ऑनलाइन भुगतान फिर से करें।

5 शुल्क छूट:

5. (अ) आवेदन शुल्क से छूट/वापसी का दावा करने के लिए, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को चयन परीक्षणों के समय अनुलग्नक-‘बी’ में उल्लेखित ‘स्व-घोषणा’ प्रस्तुत करनी चाहिए।

*अल्पसंख्यक यानी के मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी।

आवेदन शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी से संबंधित है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

5. (ब) ** आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ई बी सी) का अर्थ उन उम्मीदवारों से होगा जिनकी पारिवारिक आय रुपये 50,000/- प्रति वर्ष से कम है।

निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई बी सी) की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

- (i) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
- (ii) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के मौजूदा सांसद।
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी।
- (iv) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी व्यक्ति के लिए सिफारिश कर सकते हैं।
- (v) राज्य सभा के वर्तमान सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।

ऊपर उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र चयन परीक्षणों के समय प्रस्तुत करने के लिए अनुलग्नक- (सी) में होना चाहिए।

6. भर्ती प्रक्रिया (दोनों लेवल के लिए)

6.1(अ) उम्मीदवार, जो अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तथा योग्य पाए जाते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रिक्तियों के केवल 2.5 गुना तक के उम्मीदवार, जिन्होंने लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं, को दस्तावेज सत्यापन हेतु भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बुलाया जाएगा।

(अ)	लिखित परीक्षा	60 अंक
	लिखित परीक्षा में स्काउट और गाइड संगठन और इसकी गतिविधियों से संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (40 अंक) और 1 निबंध प्रकार का प्रश्न (20 अंक)। ग्रेड पे लेवल -2 और लेवल - 1 दोनों के लिए सामान्य ज्ञान शामिल होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार में नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा ओएमआर शीट पर आयोजित की जाएगी।	
(ब)	प्रमाणपत्रों पर अंक	40 अंक
	(i) राष्ट्रीय कार्यक्रमों/राष्ट्रीय जम्बूरी (भारतीय रेलवे के सभी कार्यक्रमों सहित) में भागीदारी/प्रदान कि गई सेवा :	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम पात्रता योग्यता)	शून्य
	• एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(ii) राज्य स्तरीय कार्यक्रमों/रैलियों में भागीदारी/प्रदान की गई सेवा	10 अंक
	• प्रथम दो प्रमाण पत्र (अर्थात न्यूनतम पात्रता योग्यता)	Nil
	• एक अतिरिक्त कार्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक अतिरिक्त कार्यक्रम	10 अंक
	(iii) राष्ट्रीय/राज्य/अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर आयोजित विशेष स्काउट/गाइड पाठ्यक्रम :	10 अंक
	• एक पाठ्यक्रम	07 अंक
	• दो या अधिक पाठ्यक्रम	10 अंक
	(iv) जिला रैलियों में भागीदारी :	10 अंक

	• एक प्रमाण पत्र	Nil
	• दो प्रमाणपत्र	07 अंक
	• तीन प्रमाण पत्र	10 अंक
	कुल (अ) + (ब)	100 अंक

लिखित परीक्षा की संभावित तारीख – 14/01/2023

6.1(बी) लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (दोनों लेवल के लिए)

स्काउटिंग/गाइडिंग का इतिहास; नियम और प्रतिज्ञा; संगठन-जिला और राज्य स्तर; प्रशिक्षण केंद्र - जिला एवं राज्य स्तर; पुस्तकों का ज्ञान; भारत में लड़कों के लिए स्काउटिंग/लड़कियों के लिए गाइडिंग; मोटो बाएं हाथ मिलाना; सलाम; प्रार्थना; ध्वज गीत; राष्ट्रगान; राष्ट्रीय और स्काउटिंग झंडे को जानें; विभिन्न अवसरों पर सामाजिक सेवाएं; लंबी दूरी पर पैदल यात्रा; प्रवीणता बैज, इन्हें कैसे अर्जित किया जाता है? स्काउटिंग/गाइडिंग के चरण: चिंतन दिवस; स्काउट्स/गाइड्स/रोवर्स/रेंजर्स का प्रगतिशील प्रशिक्षण; पथ प्रदर्शक; हस्तशिल्प; भारतीय रेल जमावड़ा; राष्ट्रीय जमावड़ा; जंबोरी ऑन द एयर।

राष्ट्रीय स्तर पर संगठन; राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, डब्ल्यूएजीजीजीएस/डब्ल्यूओएसएम-उपराष्ट्रपति पुरस्कार प्रतियोगिता; प्रधान मंत्री शील्ड प्रतियोगिता; सामुदायिक विकास कार्यक्रम; स्काउटिंग के उद्देश्य और तरीके; बेहतर नागरिक और सामान्य ज्ञान के निर्माण में स्काउटिंग किस प्रकार उपयोगी है।

- 6.2 लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की तिथि, समय, स्थान आरआरसी द्वारा तय किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन को स्थगित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6.3 लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र 40 अंकों का वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगा और स्काउट्स और गाइड्स संगठन तथा उसकी गतिविधियों और सामान्य ज्ञान से संबंधित निबंध प्रकार का प्रश्न 20 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होगा।
- 6.4 लिखित परीक्षा 60 मिनट की अवधि की होगी।
- 6.5 आरआरसी अपने विवेक से लिखित परीक्षा आयोजित कर सकता है, यदि आवश्यक समझा जाए, तो सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों को आरआरसी द्वारा लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जा सकता है।
- 6.6 उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6.7 कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

7. **ऑनलाइन आवेदन**

7.1 उम्मीदवारों को www.rccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

7.2 उम्मीदवारों को खेल कोटे के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए प्रदान की गई आरआरसी / सीआर वेबसाइट www.rccr.com पर लॉग ऑन करना होगा और व्यक्तिगत विवरण / बायो-डेटा आदि को ध्यान से भरना होगा।

टिप्पणी - I : उम्मीदवारों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। पंजीकरण के समय, उम्मीदवारों को 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर भरना होगा। जिन उम्मीदवारों के पास आधार संख्या नहीं है और जिन्होंने आधार के लिए नामांकन किया है, लेकिन आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, वे आधार नामांकन पर्ची पर मुद्रित 28 अंकों का आधार कार्ड नामांकन आईडी प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपर्युक्त प्रावधान जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवारों के लिए लागू है। इन राज्यों के आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में अपना वोटर आईडी नंबर/वैध पासपोर्ट नंबर/ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या कोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर दर्ज कर सकते हैं।

चयन परीक्षण के समय उम्मीदवारों को मूल आधार कार्ड या ऊपर उल्लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी – II : उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता और खेल प्रमाण पत्र में दर्ज किये गये मिलानसे बिल्कुल मेल होना चाहिये। दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाए जाने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण इस अधिसूचना के लिए उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यदि उम्मीदवार ने अपना नाम बदल लिया है तो चयन परीक्षण / दस्तावेज सत्यापन के समय राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज जो लागू हो, जमा किया जाना चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने बदले हुए नाम का उल्लेख करना चाहिए। हालांकि, अन्य विवरण शैक्षिक/जन्म तिथि/खेल प्रमाणपत्रों से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए।

टिप्पणी – III : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आई डी को इंगित करें और उन्हें पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखें क्योंकि सभी महत्वपूर्ण संदेश ईमेल/एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे जिन्हें माना जाएगा कि उम्मीदवारों द्वारा पढ़ा और समझा गया है।

7.3 नाम/पिता का नाम/समुदाय/फोटो (चेहरा) /शैक्षणिक और/या तकनीकी योग्यता आदि जैसे विभिन्न विवरणों के साथ या अलग-अलग ई-मेल आईडी/मोबाइल नंबर के साथ एक ही लेबल (खेल) के लिए एक से अधिक आवेदन जमा करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऐसे सभी आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- 7.4 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान, प्रत्येक आवेदक को एक पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों / आरआरसी के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या को संरक्षित / नोट करें।

टिप्पणी -1: अंतिम दिनों के दौरान, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें, ताकि इंटरनेट पर भारी लोड या वेबसाइट जाम के कारण आरआरसी/सीआर की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में संभावित अक्षमता/विफलता से बचा जा सके।

टिप्पणी -2: उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों के अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने के लिए आरआरसी / सीआर किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है।

- 7.5 उम्मीदवार को किसी भी आवेदन का प्रिंटआउट या प्रमाण पत्र या प्रतियां डाक द्वारा आरआरसी सीआर को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही विचार किया जाएगा, जो बाद की तारीख में होने वाले सत्यापन के अधीन है। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में भरे गये विवरण में किसी भी स्तर पर कोई भी विसंगति पायी जाती है तो उम्मीदवार अयोग्य माना जायेगा।
- 7.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें, जिसे चयन परीक्षण के समय प्रस्तुत करना आवश्यक है।

8. स्कैन की गई फोटो/फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपना रंगीन फोटोग्राफ (आकार 3.5 से मी x 3.5 से मी, जो आवेदन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी - 70 केबी के बीच होना चाहिए) अपलोड करना आवश्यक है। बिना टोपी और धूप के चश्मे के उम्मीदवार के सामने का स्पष्ट दृश्य आवश्यक है। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/सीआर किसी भी स्तर पर पुरानी/अस्पष्ट तस्वीर अपलोड करने या आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और उम्मीदवार की वास्तविक शारीरिक उपस्थिति के बीच किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बाद में दस्तावेज सत्यापन के समय लाने के लिए उसी तस्वीर की दो अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें।

9. स्कैन किए गए हस्ताक्षर/हस्ताक्षर की छवि की सॉफ्ट कॉपी

उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे (आकार 3.5 से मी x 2.5 से मी, जेपीजी / जेपीईजी प्रारूप, 100 डीपीआई, फ़ाइल का आकार 20 केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए) स्कैन किय गये हस्ताक्षर ब्लॉक / कैंपिटल असंबद्ध पत्र में नहि होना चाहिये।

10. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज (साफ पढ़ने योग्य)

उम्मीदवारों को निम्नलिखित साफ पढ़ने योग्य दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है।

- 10.1 किसी भी अनुभाग में राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर या हिमालयन वुड बैज (एचडब्ल्यूबी) धारक की स्कैन की गई कॉपी, जैसा भी मामला हो।
- 10.2 अधिसूचना के पैरा 2 (ए) में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी।
- 10.3 अधिसूचना के पैरा 2 (बी) में उल्लिखित स्काउट्स और गाइड्स में योग्यता के प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- 10.4 जन्म तिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र (एस एस सी या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र या मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि या जन्म तिथि का उल्लेखित हो या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।
- 10.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति, जहां भी लागू हो।
11. **लिखित परीक्षा के लिए हॉल टिकट (ई-कॉल लेटर)**
 - 11.1 उम्मीदवार की पात्रता स्थिति आरआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार अपनी पात्रता को आरआरसी की वेबसाइट से सत्यापित कर सकते हैं। सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल से जानकारी भेजी जाएगी। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अंत तक अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल सक्रिय रखें। आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
 - 11.2 पात्र उम्मीदवार को ई-कॉल लेटर (स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर, जहां भी लागू हो के साथ) आरआरसी की वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए लिखित परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले उपलब्ध होगा। उम्मीदवार को डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने मुफ्त यात्रा अधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपना उचित सामुदायिक प्रमाण पत्र अपलोड किया है, लिखित परीक्षा के लिए ई-कॉल लेटर में मुफ्त यात्रा का अधिकार होगा और ऐसे उम्मीदवार ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति होंगी। यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों को यात्रा शुरू करने के लिए मूल अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण ले जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।
 - 11.3 उम्मीदवारों को अपना ई-कॉल लेटर एक वैध फोटो आईडी (जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यदि उम्मीदवार एक सरकारी कर्मचारी है तो अपने नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय फोटो पहचान पत्र आदि को साथ लाना होगा) मूल रूप से परीक्षा हॉल में, ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 11.4 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए बिना टोपी और धूप के चश्मे के एक रंगीन फोटोग्राफ (आकार **3.5** सेमी x **3.5** सेमी) लाना होगा (पैरा **8** देखें)।
- 11.5 अस्थायी रूप से पात्र उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा केंद्र, तारीख और सत्र में किसी भी बदलाव के लिए आरआरसी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- 11.6 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लिखित परीक्षा के लिए आते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपने साथ लाएँ।
- ई-कॉल लेटर
 - पैरा 7.2 . के नोट-1 में उल्लिखित आधार कार्ड या फोटो आईडी
 - एक पासपोर्ट साइज फोटो
 - एससी / एसटी / ओबीसी प्रमाणपत्र, जहां भी लागू हो
12. **सहायता केंद्र/हेल्प डेस्क**
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने और प्रिंट करने में किसी भी समस्या के लिए, उम्मीदवार ई-मेल के माध्यम से scoutsnguides@rrccr.com पर प्रश्न भेज सकते हैं।
13. **महत्वपूर्ण निर्देश**
- 13.1 उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित करें : - उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद/परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पद के लिए उम्मीदवारों की पात्रता उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर तय की जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छुपाई है या उम्मीदवार अन्यथा पद के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो उनकी उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
- 13.2 दस्तावेज सत्यापन के दिन जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता और स्काउट और गाइड आदि के मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके बिना उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी या हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में प्रमाण पत्र के साथ अंग्रेजी / हिंदी में एक सत्यापित अनुवाद होना चाहिए। सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए/आवास नहीं दिया जाएगा। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान **2-3** दिनों के लिए रुकना भी पड़ सकता है, जिसके लिए उन्हें अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। रेल प्रशासन के पास किसी भी तारीख/स्थान को निर्धारित करने या स्थगित करने या अप्रत्याशित कारणों से रद्द करने के सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके खिलाफ कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13.3 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को संक्षिप्त सूचना पर लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन आदि के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार रहना होगा। चयनित उम्मीदवारों को मध्य रेल पर कही भी पदस्थापित किया जाएगा।

- 13.4 आमतौर पर, एक रेल सेवक को उस रेल या रेलवे प्रतिष्ठान में अपनी पूरी सेवा के दौरान नियोजित किया जाएगा जहां वह पहली नियुक्ति पर तैनात है और किसी अन्य रेल या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में उसका कोई दावा नहीं होगा। तथापि, सेवा की अत्यावश्यकताओं में, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह स्वतंत्रता होगी कि वह रेल सेवक को भारत में या उसके बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग या मंडल/इकाई या रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है।
- 13.5 चयनित उम्मीदवारों को जहां कहीं पद के लिए प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, प्रशिक्षण लेना होगा।
- 13.6 प्रारंभिक नियुक्ति पर परिलब्धियां वेतन के स्तर का न्यूनतम वेतन और उस समय स्वीकार्य अन्य भत्ते होंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू स्टापेंड का भुगतान किया जाएगा। उम्मीदवारों को जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा जमा राशि देनी होगी और क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
- 13.7 चयनित पुरुष उम्मीदवार जिन्हें अंतिम रूप से नियुक्त किया गया है, वे प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियर्स यूनिट में सक्रिय सेवा के लिए उत्तरदायी हैं।
- 13.8 इस अधिसूचना में दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अंतिम है और रेल प्रशासन की वास्तविक जरूरतों के आधार पर बाद में घट सकती है या शून्य भी हो सकती है। रेल प्रशासन अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और ऐसा निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
- 13.9 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित की जाने वाली उनकी अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाण पत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त / चरित्र के सत्यापन के अधीन है।
- 13.10 उम्मीदवार जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सरकारी संगठनों की सेवा में हैं और उपरोक्त के लिए पात्र हैं, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- 13.11 भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अस्थायी होगा बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। उम्मीदवारों को केवल कॉल लेटर/ई-प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी को आरआरसी द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है।
- 13.12 स्काउट्स / गाइड्स कोटे के तहत भर्ती किए गए उम्मीदवारों को यदि उनके द्वारा भर्ती के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज किसी भी स्तर पर गलत / नकली पाए जाते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- 13.13 पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति आदि से संबंधित सभी मामलों में भर्ती समिति / प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 13.14 उम्मीदवार जिन्हें किसी भी आरआरबी/आरआरसी परीक्षा से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है या जिन उम्मीदवारों को एक विशिष्ट अवधि के लिए वंचित कर दिया गया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें इस अधिसूचना के संबंध में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 13.15 उम्मीदवार के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, अंग्रेजी या हिंदी में, रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, न कि ब्लॉक/कैपिटल या असंबद्ध पत्र में। लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के समय अलग-अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 13.16 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार जो लिखित परीक्षा के लिए मुफ्त यात्रा अधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुबंध-'ग' के अनुसार) अपलोड करना चाहिए। आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा करने के समय, आरक्षण लिपिक और/या टिकट जांच कर्मचारी उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 13.17 अंतिम तिथि अर्थात् 12/12/2022 के एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त किए जाने वाले सेवारत रक्षा कर्मी भी आवेदन कर सकते हैं।
- 13.18 आरआरसी केवल सफल उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी करेंगे। उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, मध्य रेल द्वारा प्रबंधित की जाती है।
14. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर प्रतिबंध:
- 14.1 मोबाइल फोन, पेजर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी अन्य संचार उपकरण को उस परिसर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर अनुशासनात्मक/न्यायिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।
- 14.2 उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन / पेजर आदि किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को न लाएं, क्योंकि इन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
15. **अमान्य आवेदन/अस्वीकृति**
- उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें; अन्यथा उनके आवेदन निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकार किए जा सकते हैं।
- 15.1 कैपिटल अक्षरों में स्कैन किए गए हस्ताक्षर/स्कैन किए गए हस्ताक्षर के बिना आवेदन।

- 15.2 स्कैन फोटो के बिना आवेदन।
- 15.3 स्कैन किए गए फोटो के साथ आवेदन लेकिन काले चश्मे पहने हुए या टोपी या विकृत / छोटे आकार या पहचानने योग्य नहीं।
- 15.4 आवेदन जमा करने की तिथि पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक और स्काउट्स / गाइड्स योग्यता नहीं होना।
- 15.5 अधिक आयु या कम आयु, जन्म तिथि नहीं भरी गई या गलत तरीके से भरी गई।
- 15.6 अभ्यर्थी का नाम विवर्जित सूची में आना।
- 15.7 एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन/विभिन्न विवरण।
- 15.8 रुपये के आवेदन शुल्क के बिना आवेदन। 500/- या रु. 250/-, जहां लागू हो या कम शुल्क।
- 15.9 किसी अन्य प्रकार की अनियमितताएं।
16. **सामान्य शर्तें:**
- 16.1 किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार अयोग्य हो जाएगा।
- 16.2 उम्मीदवारों को उचित प्राधिकारी से उचित प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के प्रारूप में प्राप्त करने और चयन परीक्षण के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, ऐसा न करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावों के सत्यापन पर ब्रोशर (भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित) के अध्याय 13 के अनुसार इसकी सख्त आवश्यकता है।
- 16.3 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की ज़ेरॉक्स कॉपी, तहसीलदार के पद से नीचे नहीं है, ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड की जानी चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा 01/04/2022 को या उसके बाद जारी केंद्र सरकार के प्रारूप में ओबीसी नॉन-क्रीमी-लेयर प्रमाणपत्र भी अपलोड करेंगे। प्रमाणपत्रों में जाति, जारी करने की तिथि आदि शामिल होनी चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक 'सी' के रूप में और ओबीसी के लिए अनुलग्नक "डी" के रूप में संलग्न है।

(एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप आरआरसी/सीआर वेबसाइट: www.rrccr.com पर भी उपलब्ध है)
17. **प्रतिरूपण/तथ्यों को छिपाया जाना, चेतावनी**
- 17.1 किसी भी उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए या किसी प्रतिरूपणकर्ता की मदद नहीं लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को सभी आरआरसी परीक्षाओं में शामिल होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा और साथ ही रेलवे में किसी भी नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

- 17.2 परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले या अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में बैठने के लिए भेजने वाले किसी भी उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- 17.3 आरआरसी को कोई भी गलत जानकारी देना या किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को जानबूझकर छिपाना उम्मीदवार को अयोग्य माना जाएगा और रेलवे में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 17.4 परीक्षा में बैठने के लिए मुफ्त यात्रा सहित पात्रता हासिल करने और/या विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा तथ्यों को छुपाने या जाली प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस विशेष भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके लिए वह / उसने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे 2 वर्ष की अवधि के लिए पूरे देश में सभी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
- 17.5 एक उम्मीदवार को एक निर्दिष्ट अवधि/जीवन काल के लिए सभी आरआरसी की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा यदि (i) उम्मीदवार अलग-अलग समुदाय के साथ कई आवेदन जमा करता है, (ii) उम्मीदवार अलग-अलग फोटो (चेहरे) के साथ कई आवेदन जमा करता है और (iii) उम्मीदवार विभिन्न दस्तावेजों के साथ कई आवेदन जमा करता है।
18. **अन्य मामले**
- 18.1 मौजूदा नियमों के अनुसार इस अधिसूचना के नियमों और शर्तों में बाद में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य रहेगा। आरआरसी इस अधिसूचना के तहत आवश्यक और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के किए गए परिवर्तन / संशोधन / परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 18.2 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे अपने डाउनलोड किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। भर्ती के आगे के चरण में किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा और भर्ती के किसी भी स्तर पर पात्रता शर्तों/शर्तों को पूरा नहीं करने वाले किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार आरआरसी/मध्य रेल के पास सुरक्षित है।
- 18.3 रेल प्रशासन द्वारा उम्मीदवार का चयन उम्मीदवार को पद के लिए कोई आदेशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- 18.4 यदि पते में कोई परिवर्तन होता है, तो उम्मीदवार को अपने हित में संबंधित डाकघर के साथ संचार को पुराने से नए पते पर पुनर्निर्देशित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- 18.5 उम्मीदवारों की पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त पास जारी करना, झूठी सूचना के लिए दंड, चयन का तरीका, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेल प्रशासन द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 18.6 ई-मेल या एसएमएस भेजने में किसी भी देरी के लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। उम्मीदवारों को अपने स्पैम ई-मेल फ़ोल्डर की भी जांच करनी चाहिए।
- 18.7 नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को चयनित पद के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार अपेक्षित मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
- 18.8 भर्ती के किसी भी चरण में अनजाने में हुई त्रुटि या चूक को सुधारने का अधिकार रेल प्रशासन के पास सुरक्षित है और गलती से नियुक्त उम्मीदवार को रेल सेवा से बिना देरी किए हटाया जा सकता है।
19. **विविध**
- 19.1 अधिसूचना सभी अनुलग्नों के साथ आरआरसी की वेब साइट पर भी उपलब्ध होगी।
- 19.2 आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस रोजगार सूचना में अधिसूचित किसी भी पद के लिए आरआरसी किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी आंशिक या पूरी तरह से रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- 19.3 ऑनलाइन आवेदनों की पात्रता, स्वीकृति या अस्वीकृति, झूठी सूचना के लिए जुर्माना, मुफ्त रेल पास जारी करना, चयन का तरीका, लिखित परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में आरआरसी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में आरआरसी द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 19.4 अनजाने में हुई किसी त्रुटि के लिए आरआरसी जिम्मेदार नहीं होगा।
- 19.5 **व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।**
- 19.6 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बदलाव और सूचना/परीक्षा कार्यक्रम आदि के अद्यतन के लिए नियमित रूप से आरआरसी की वेबसाइट देखते रहें।
20. **कानूनी मामले**
- इस रोजगार सूचना से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मामला केवल केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी ए टी), मुंबई के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएगा।

21. महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे भर्ती सेल, मध्य रेल ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को कार्रवाई के लिए नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के लालच में न आएं।

रेलवे के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए किसी भी रूप में प्रचार करने पर सख्ती से निपटा जाएगा।

सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक गंभीर मामला है। आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी गंभीरता से लें। आवेदकों द्वारा किसी भी तरह की गलत सूचना देकर या अश्लील/आपत्तिजनक तस्वीर या मामले को अपलोड करके शरारत करके प्रक्रिया में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा और वे अन्य प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती सेल,
मध्य रेलवे

संलग्न: अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'इ'.

सक्रियता प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____
राज्य/जिला/मंडल _____ से आज तक (अवधि वित्तीय वर्ष 2017-18 सहित
होनी चाहिए), राज्य/जिला संघ के साथ विधिवत पंजीकृत _____ समूह का एक
सक्रिय सदस्य है।

दिनांक:

सील और कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर

नाम:

ग्रुप लीडर (एसएंडजी)
(एसएंडजी)

हस्ताक्षर

नाम:

डीओसी (एसएंडजी)

हस्ताक्षर

नाम:

डीसी

अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों के लिए घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि मैं धर्म से संबंधित हूं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय है। इसलिए, मैं आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट चाहता हूं। मैं एतद् द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर "अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" का हलफनामा प्रस्तुत करने का वचन देता हूं, यदि मैं उपयुक्त पाया जाता हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम : _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

पत्र संख्या ई) आरआरबी/(2009/25/21 दिनांक 28/10/2009 के पैरा 3 के अनुसार पत्र शीर्ष पर जारी होने वाले आय प्रमाण पत्र का प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग) ई.बी.सी (.की परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में छूट हेतु वर्ष 2022-23 का आय प्रमाण पत्र।

1. उम्मीदवार का नाम :

2. पिता / पति का नाम :

3. आयु :

4. आवासीय पता :

5. वार्षिक पारिवारिक आय :

(अंकों में और शब्दों में)

6. जारी करने की तिथि :

7. हस्ताक्षर :

(प्राधिकार पत्र जारी करने के नाम)

जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी *.....

पुत्र/पुत्री.....*निवासी ग्राम/कस्बा *.....
जिला/संभाग * राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..... के
..... जाति/जनजाति से सम्बंधित है जो निम्नलिखित आदेश के
अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति *के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (

आदेश, 1950.....

संविधान) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र (आदेश, 1951.....)*
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची) परिशोधन (आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960
और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र) पुनर्गठन (अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश) संशोधन (अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान) जम्मू एवं कश्मीर (अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश) संशोधन अधिनियम(, 1976 *द्वारा यथा संशोधित
संविधान)अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959

संविधान) दादरा एवं नगर हवेली (अनुसूचित जाति आदेश, 1962

संविधान) दादरा और नगर हवेली (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान) पांडिचेरी (अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान) अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश (आदेश, 1967@

संविधान) गोवा, दमन एवं दीव (अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान) गोवा, दमन एवं दीव (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान) नागालैंड (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान) सिक्किम (अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान) सिक्किम (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान) जम्मू एवं कश्मीर (अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान) अनुसूचित जाति (आदेश) संशोधन (अधिनियम, 1990@

संविधान) अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन (अधिनियम, 1991@

संविधान) अनुसूचित जनजाति (आदेश) द्वितीय संशोधन (अधिनियम, 1991@

संविधान) अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन (अध्यादेश 1996.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश) संशोधन (अधिनियम2002 ,

संविधान) अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन (अधिनियम2002 ,

संविधान) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (आदेश) संशोधन (अधिनियम2002 ,

*2. यह उन अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गये हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी *

.....
के माता/पिता

श्री/श्रीमती.....निवासी
 ग्राम/कस्बा*.....
जिला/संभाग.....राज्य /
 संघराज्य क्षेत्र को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित
 जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो
जाति/जनजाति से सम्बंधित है जो
दिनांक द्वारा
 जारी.....राज्य / संघराज्य क्षेत्र में अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

% 3.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....
और/या* उनका परिवार सामान्यता: ग्राम/कस्बा*

 जिला/संभाग*.....राज्य / संघराज्य क्षेत्र
में रहता है।

हस्ताक्षर
 **पदनाम
 (कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान
 दिनांक

- (*) जो शब्द लागू ना हो उसे काट दें।
 (e) राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
 (%) जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा की जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की सूची:-

- i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपयुक्त/अतिरिक्त उपयुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाफपंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
 - ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
 - iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के निचे का ना हों।
 - iv. क्षेत्र का सब-डिविजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्ती और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
- टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलिय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
 श्री/श्रीमती के पुत्र/पुत्री गांव के
/ नगर*
 जिले में राज्य का है समुदाय जिसे
 के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। (उप-जाति को दर्शाता है)

- 1) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर 1993, भारत के राजपत्र-असाधारण-भाग 1 खंड 1, संख्या 186 दिनांक 13 सितंबर 1993 में प्रकाशित।
- 2) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर 1994, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित।
- 3) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24 मई 1995, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित।
- 4) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6 दिसंबर 1996, भारत के राजपत्र - असाधारण - भाग 1 खंड 1, संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर 1996 में प्रकाशित।
- 5) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 129 दिनांक 8 जुलाई 1997।
- 6) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी-असाधारण संख्या 164 दिनांक 1 सितंबर 1997।
- 7) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी - असाधारण संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर 1997।
- 8) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 239 दिनांक 3 दिसंबर 1997।
- 9) संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 166 दिनांक 3 अगस्त 1998।
- 10) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 171 दिनांक 6 अगस्त 1998।
- 11) भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी-असाधारण संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999।
- 12) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 270 दिनांक 6 दिसंबर 1999।
- 13) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी भारत के राजपत्र में प्रकाशित - असाधारण संख्या 71 दिनांक 4 अप्रैल 2000।

श्री/श्रीमती/कुम* और/या उसका/उसका *परिवार आमतौर पर
 में रहता है। जिले के
 । राज्या यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह* कॉलम 3 (भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अनुसूची के कार्यालय ज्ञापांक 36012/22/93- में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। स्था (एससीटी) दिनांक 8/9/1993) और भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित। संख्या 36033/3/2004/स्था. (आरईएस) दिनांक 09.03.2004।

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

जिला अधिकारी/
 उप. आयुक्त आदि
 (कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान

दिनांक

(*) कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं

क) "आम तौर पर निवास करते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो लोगों के प्रतिनिधित्व की धारा 20 में है। अधिनियम, 1950।

ख) जहां प्रमाण पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं, वे एक ही रूप में होने चाहिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट या उप द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। आयुक्त (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र और जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त द्वारा प्रमाणित पर्याप्त नहीं हैं)

ग) केवल अधिकारियों से ओबीसी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा: -

1 जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उपायुक्त। कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) / * उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।

2 मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

3 राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों।

उस क्षेत्र के

4 अनुमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।